ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

Volume 11, Issue 3, May-June 2024

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

IMPACT FACTOR: 7.583

| www.ijarasem.com | ijarasem@gmail.com | +91-9940572462 |

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

पंचायती राज: ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति एवं संभावनाएं

Shaivendra Kumar Vyas

Assistant Professor, Department of Public Administration, Govt. College, Uchchain, Bharatpur, Rajasthan, India

सार: 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में एक तिहाई सीट सामान्य, अनुसूचित, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। लोगों को स्वेच्छा से महिलाओं के लिए किए गए इस आरक्षण को स्वीकार करना होगा और समाज में महिलाओं की स्थिति का सम्मान करना होगा।

I. परिचय

हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है, इसलिए राजनीति में भी लगभग आधी महिलाएं होनी चाहिए। इसलिए हमें महिलाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमें इसके अनुसार काम करना चाहिए। महिलाओं को समाज में उनका दर्जा दिया जाना चाहिए, जिसमें एनजीओ और विश्वविद्यालय बड़ी भूमिका निभाते हैं। इससे महिलाओं को प्रबंधन पर अधिक नियंत्रण रखने का अवसर मिलता है और अन्य महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। चूंकि भारत की आबादी में 50% महिलाएं हैं, इसलिए उन्हें लैंगिक समानता के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए स्थानीय राजनीति में समान रूप से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। राजनीति में महिलाएं अन्य साथी महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली अन्य समस्याओं के बारे में बोल सकती हैं और अन्य महिलाओं की बेहतरी के लिए उपाय कर सकती हैं।[1,2,3]

पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की भूमिका

पंचायत शुरू से ही कई भारतीय गांवों की रीढ़ रही है। महात्मा गांधी हमेशा पंचायत राज के पक्षधर थे और उनका सपना 73 वें संशोधन अधिनियम के साथ हकीकत में आया, जिसे पंचायती राज अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। यह अधिनियम महिलाओं को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों सहित कुल एक तिहाई सीटें प्रदान करता है। इसने महिलाओं के लिए अध्यक्ष के कुल पदों की संख्या का एक तिहाई भी आरक्षित कर दिया।

पंचायत में महिलाओं की भूमिका इस प्रकार है:

- चुनाव में भागीदारी
- ग्रामीण विकास में भागीदारी
- निर्णय लेने में भागीदारी
- सामाजिक क्रांति का एजेंट
- भ्रष्टाचार कम करना
- महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में कमी लाना
- सहभागी लोकतंत्र का अभ्यास करना
- दलितों के विरुद्ध हिंसा में कमी

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने में आने वाली कठिनाइयाँ हैं-

- पंचायतों में राजनीतिक हस्तक्षेप मौजूद
- महिलाओं को पुरुषों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए बनाया गया है
- पति निर्वाचित महिला का हस्तक्षेप लेता है और उसकी ओर से कार्य करता है
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं में राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूकता का अभाव है
- सभी नकारात्मक सार्वजनिक राय
- ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा का अभाव
- महिलाओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का अभाव
- महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए कार्य करने से रोकने के लिए उनके विरुद्ध हिंसा

पंचायत राज संस्था में महिला सशक्तिकरण
इसलिए, 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत में सामान्य, अनुसूचित, पिछड़ी जाति की महिलाओं के लिए एक तिहाई सीट आरक्षित की गई है। लोगों को महिलाओं के लिए किए गए इस आरक्षण को स्वीकार करना होगा और समाज में महिलाओं की स्थिति का सम्मान करना होगा जो पुरुषों से कम नहीं है। पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता और आपसी समझ से गतिविधियों में भागीदारी के लिए हमारी जीत को आगे बढ़ाने के लिए नई नीतियां बनाई जानी चाहिए।
पंचायत राज संस्था में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए जो पहल की गई हैं, वे हैं-

1. महिलाओं की अधिक संख्या में भागीदारी बढ़ाने के लिए कदम उठाए गए हैं।
2. सभी निर्वाचित नेताओं को दिशानिर्देशों का पालन करने तथा ग्रामीणों को जनसंपर्क अधिनियम के बारे में शिक्षित करने के लिए न्यूनतम साक्षरता होनी चाहिए।
3. महिलाओं को शासन के बारे में शिक्षित करने तथा इन क्षेत्रों में महिलाओं की अधिक भागीदारी बढ़ाने में साक्षरता बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
4. यात्रा को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं की नेतृत्व और संचार कौशल का विकास करना।
5. उन्हें अपनी बात कहने के लिए प्रशिक्षित करें तथा पंचायती अधिकारों का दावा करने के लिए स्थानीय स्वशासन के साथ संपर्क स्थापित करने के साधन खोजें।
6. महिलाओं को राज्य और केंद्र सरकार द्वारा उनके लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और कार्यक्रमों के बारे में शिक्षित करना।
7. सभी सांस्कृतिक बाधाओं को तोड़कर बड़ी उपलब्धियां हासिल करने के लिए उन्हें सशक्त और प्रेरित करना।

अनुच्छेद पंचायत राज महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण
अनुच्छेद 243डी का खंड (3) महिलाओं के लिए अनिवार्य एक तिहाई आरक्षण द्वारा पंचायत राज संस्था में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करता है। अब तक, भारत के 20 राज्यों ने महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक कर दिया है (ये 20 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल)।

पंचायत राज संस्था की स्थापना के बाद महिलाओं को बेहतर अवसर मिल रहे हैं और वे अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा पा रही हैं। यह अधिनियम महिलाओं के लिए राजनीति के क्षेत्र में आगे आकर प्रशासन में भाग लेने का एक बेहतरीन अवसर रहा है। यह उन्हें अपनी आवाज उठाने और सुनने के लिए एक मंच प्रदान करता है।[4,5,6]

II. विचार-विमर्श

संविधान के 73वें संशोधन 1992 में महिलाओं को एक घटक (33%) में शामिल किया गया है। वर्तमान समय में कई राज्यों ने पूर्वोत्तर की इस सीमा को 50% तक बढ़ाया है। यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि जीवविज्ञानी राज व्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी बढ़ गई है।

एक ओर जहाँ ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ घर में रहने के लिए सशक्त थीं, उन्हें सौर ऊर्जा में जाने का बहुत कम अधिकार था। उन्हें अपनी बात रखने के लिए अपने पति, पिता या अन्य रिश्तेदारों पर प्रतिबंध रखना था। महिलाओं की अनेकों समस्याएँ और कहानियाँ पर वह खुद आगे आ नहीं बोल रही थी। लेकिन आज का समाज बदल रहा है और उन्हें अपना अधिकार भी मिल रहा है।

पहली बार 1959 में जब अपॉइंटमेंट के विकास के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया तो इस समिति ने महिलाओं की भागीदारी की बात करते हुए ग्राम स्तर पर निर्णय लिया। उसके बाद समय-समय पर महिलाओं को शक्ति देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। वर्जिनिया राज अधिनियम-1992 ग्रामीण भारत की महिला संविधान में मीलों का पत्थर साबित हुआ है।
महिला नटखट से हो रही है महिलाओं की स्थिति में बदलाव_
73 वें संविधान के बाद जैनी राज में महिलाओं की स्थिति में नारी की स्थिति में बदलाव आ रहा है। इससे पहले राज में महिलाओं की भागीदारी शानदार है। आज देश में 2.5 लाख लोगों में लगभग 32 लाख प्रतिनिधि चुने जा रहे हैं। इनमें से 14 लाख से भी ज्यादा महिलाएं हैं। जो कुल सदस्य का 46.14 प्रतिशत है। अज्ञात राज के माध्यम से अब लाखों महिला राजनीति में हिस्सा ले रही हैं।

आवासीय शिक्षा के प्रति सोच सकारात्मक हो रही है और इसके प्रति लोगों का व्यवसाय बढ़ रहा है।
ग्रामों में अलग-अलग संस्थाओं में अलग-अलग संस्थाएँ होती हैं जैसे: विद्यालय प्रबंधन समिति, वार्ड, मुखिया, सरपंच में प्रतिभागिता महिलाएँ होती हैं |
नवीन के कारण अपने अधिकार और अवसरों का लाभ उठा रही है।
पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर प्राचीन विकास उद्यमों में मशाल बढ़ रही है।
20%(अनुमानित) महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्म-सम्मान का विकास हुआ है।
पंचायत के कार्यों पर सवाल उठाना और आवश्यकतानुसार संगठन के लिए मांग करना |

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को बनाए [7,8,9]रखने और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में शामिल करने का अवसर मिला है।
जिले व राज्य से बाहर जाने के अवसर में आगे आना |
कौशल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कार्य

कहा जा रहा है कि नाईट की व्यवस्था के कारण ही विक्की राज में ही नहीं बल्कि देश की सभी सांस्कृतिक महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है।

विखंडन राज व्यवस्था के माध्यम से महिलाओं का जीवन बहुत प्रभावित हुआ है। सही मायने में इंटरव्यू राज ने महिलाओं को समाज का एक विशेष सदस्य बनने का मौका दिया है।

महिलाओं की शानदार भागीदारी

इस में कोई दो राय नहीं है कि राजकीय राज नियंत्रण में महिलाओं की भागीदारी शामिल है, वास्तव में ग्रामीण शासन में महिलाओं को मिला या महिला छात्रवृत्ति के लक्ष्य के बारे में हम पास आ गए हैं?

पुरुष प्रधान समाज में प्रतिनिधि बनने से समाज के किस स्तर पर महिलाओं का सुदृढ़ीकरण हो पाता है? विभिन्न रिपोर्ट एवं रिसर्च की रेटिंग तो महिलाओं के बीच संबंध एवं जन प्रतिनिधियों के बीच कोई संबंध नहीं दिख रहा है। जन प्रतिनिधि बनने के बाद भी केवल 5-10 फीसदी महिलाएं ही घर की दहलीज पार कर राजनीतिक भागीदारी दे रही हैं और अपनी खुद की पहचान स्थापित कर पा रही हैं।

अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी पहली किताब में कहा था कि "किसी भी देश में लोकतंत्र के स्तर पर महिलाओं के अपमान को मंजूरी नहीं दी जाती है।" केवल चुनाव में जीत से कुछ नहीं होता, निर्णय लेने की शक्ति मिली या नहीं, उस शक्ति के सदुपयोग करने के लिए किस तरह का माहौल मिल रहा है, ये महत्पूर्ण है।”

III. परिणाम

महिला सांकेतिक की निशानी
भारतीय समाज में महिलाओं को अभी और आगे आने की जरूरत है। अलग-अलग अधिकार और नॉटीक प्राप्त के बावजूद, आज सेकेशंस में महिलाओं की जगह उनके पति, पुत्र, पिता या अलैहिस्सलाम उनकी भूमिका में नज़र आते हैं। अधिकांश रिहायशी महिलाओं के निर्वाचक सदस्य होने के विषय में पूर्ण जानकारी भी नहीं है। ग्राम सभा की बैठकों में वे मौन दर्शक बने रहते हैं, और पुस्तकालय ही अपनी पंचायत के शिक्षकों का संचालन करते हैं। महिलाएं क्या करती हैं जो उनके पति और कहते हैं। अगर उसकी परियोजना के बारे में कुछ पूछा जाए तो वह एक ही वाक्य में अपनी बात समाप्त कर देता है।

अब भी कुछ पारिवारिक महिलाओं को नौकरी में नियुक्तियाँ नहीं दी जाती हैं, क्योंकि वे महिलाएँ घर में ही रहती हैं, पंचायत में नहीं। अब भी महिला सरपंचो के पति ही उनके काम में शामिल दिखेंगे। इस कारण उन्हें 'सरपंच पति' या 'प्रधान पति' जैसे शब्दों से [10,11,12]नवाजा जाता है।

संक्षेप में कहें तो, जीवविज्ञान राज व्यवस्था से लेकर ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परन्तु अभी भी जीवाश्म राज में महिलाओं की भूमिका इतनी नहीं है कि इस व्यवस्था में अपनी-अपनी भूमिका निभाई जाए। इसके लिए महिलाओं को भी निडर होकर आगे आना ही होगा।

महिलाओं को पंचायत के क्षेत्र में बसाने और बेचने के लिए क्या-क्या कर सकते हैं

महिला सभा आयोजन एवं सम्मेलन करना |
ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी)10% महिलाओं के लिए मूल है इसकी जागरूकता, अन्य कौशलों की मांग पंचायत से करना|
गांवों के विकास में महिलाओं को शामिल करना |
पुरावशेष का प्रस्थान एवम इसके माध्यम से क्षमता वर्धन
पहले से मौजूद महिला पशु एवं स्वयं सहायता समुदाय को मजबूत बनाना |
किशोरावस्था को ग्राम स्तर पर मजबूत करना, जहां वो पंचायत से शैक्षणिक योग्यता की समझ और उनमें भागीदारी को समझना|
ग्राम आश्रम एवं अन्य माध्यम से महिलाओं से जुड़ी हिंसा एवं अन्य माध्यम से सम्बंधित कानूनों की समझ बनाना |
आर्थिक स्तर पर ग्राम निर्माताओं से जुड़े कार्यक्रमों का प्रशिक्षण एवं समूह के द्वारा ऐसे कार्यकर्ताओं को करने के लिए प्रोत्साहन |

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

अधिक से अधिक महिलाओं के ग्राम स्तर पर मौजूद संस्थाओं जैसे स्कूल प्रबंधन समिति, वार्ड, मुखिया, सरपंच में प्रतिभागिता।
हर प्रतिनिधि अपने कार्य की जिम्मेदारी की समझ।

स्त्रियाँ समाज के निर्माण पोषण और विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं यह एक सर्वविदित तथ्य है परंतु उनके इस योगदान को प्रायः नजरअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि यह सब उनके सहज स्वाभाविक प्रकृति में शुमार माना जाता है। भारत में स्त्रियों की स्थिति वैदिक और उत्तर वैदिक काल में तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व राजनीतिक दृष्टि से उनको पुरुषों के समान माना जाता था। पूर्व वैदिक काल में परिवार मातृसत्तात्मक था जिसमें नारी को विशेषकर धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी अधिकार प्राप्त थें लेकिन उत्तर वैदिक काल में नारी की स्थिति में थोड़ा गिरावट आने लगी और मध्य काल आते-&आते स्त्रियों की स्थिति काफी निम्न हो गई। पर्दा-प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। बाल-विवाह, सती-प्रथा आदि कुरीतियों का प्रचलन काफी बढ़ गया। ब्रिटिश काल में औद्योगीकीकरण, आधुनिकीकरण, सुधार आंदोलन, महिला आंदोलन और सामाजिक विधानों के संयुक्त प्रयास से स्त्रियों[13,14,15] की स्थिति में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप लिंग असमानता में कमी आई। स्वतंत्रता के बाद संविधान में किए गए प्रावधानों के जरिए महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ परंतु आज भी कमजोर वर्ग की महिलाओं में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हो सका। सरकार के अथक प्रयासों से महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार होने लगा। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 20 अप्रैल 1993 का दिन बहुत ही क्रांति का दिन था। इसी वर्ष पंचायतों को सवैंधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। पंचायतों में महिला आरक्षण के माध्यम से इनको सशक्त करने का प्रयास किया गया और महिलाओं की भागीदारी से उनकी स्थिति में व्यापक बदलाव भी आया।

भारत में महिला सशक्तिकरण के प्राचीन से लेकर अब तक अनेक प्रयास एवं आंदोलन हुए। भारत में ऐसे भी दौर आये जहाँ महिलाओं की अस्मिता को बड़े पैमाने पर मान्यता दी गयी तथा इन्हे अपने बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी मिली। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से 20 अप्रैल 1993 का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इसी वर्ष पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसके पहले स्त्री के लिए स्वतंत्रता के पूर्व में प्रयास तथा व्यक्तिगत निर्णय सीमित थे। सामाजिक ढांचे में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया गया जिससे स्त्रियों की दशा में संरचनात्मक सुधार हुआ हो। लेकिन लोकतांत्रिक भारत में जो ऐतिहासिक कदम उठाए गए वह राजनीतिक तंत्र के परिवर्तन पर आधारित हैं और महिलाओं के लिए संस्थागत प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लोकतंत्र की बुनियादी संकल्पना का विकास इसी व्यवस्था के साथ हुआ कि सत्ता और व्यवस्था जोकि गिने-चुने लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाने के खतरे को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी ने सत्ता के केंद्रीकरण पर जोर दिया। पंचायती राज इसी विकेंद्रित व्यवस्था का मूर्तरूप है।

राजनीतिक तंत्र में परिवर्तन का माध्यम पंचायती राज की नई व्यवस्था जिसमें पंचायतों को संवैधानिक मान्यता दी गई जो इसे भारतीय राज्य का तीसरा संस्तरण कहा जाता है। यह संस्थाएं नागरिक सुरक्षा एवं सरकार के बीच कड़ी का काम करती हैं। साथ-साथ यह भी सुनिश्चित हुआ कि तीनों स्तरों पर पंचायतों में कम से कम एक तिहाई सीटों और पदों पर महिलाएं होंगी। आरक्षण के आधार पर सामान्य के साथ अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित पदों पर इन वर्गों की एक तिहाई महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया गया। इसी पंचायत के आधार पर सभी वर्गों की महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के लिए कोशिश हुई और पंचायती राज व्यवस्था 4 अवधारणाओं पर काम कर रही हैं :--

1- पंचायती राज के माध्यम से लोग राजनीति में ज्यादा प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगे।
2- स्थानीय समुदाय को परिवर्तन का वाहक बनाने और उसमें योजनागत चेतना को जागृत करने से आर्थिक परिवर्तन तेजी से और क्षमता पूर्वक होगा।
3- पंचायतों की शक्तियों का स्थानांतरण होने से एक नई सामाजिक व्यवस्था का उन्नयन होगा।
4- आम जनता ऐसे तमाम अनुभव के आधार पर राष्ट्रीय एकता का वाहक बनेगी।

पंचायत के द्वारा महिलाओं को प्राप्त अधिकार राजनीतिक सशक्तिकरण की ही देन है। पिछले वर्षों में देश के भीतर राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कई राज्यों में तो पंचायत एवं नगर पालिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति 33% से भी अधिक है। पंचायतों एवं नगरपालिका का 33% आरक्षण होने से संसद में भी महिलाओं के आरक्षण [16,17,18]का दबाव बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है कि आने वाले समय में यह मुमकिन भी हो जाएगा। पंचायतों में महिलाओं की उपस्थिति से सिद्ध हो गया है की विगत कई वर्षों में जनसंख्या स्थिरीकरण एवं लैंगिक असंतुलन में सुधार आया तथा महिलाओं के हितों की बात को प्रभावशाली ढंग से रखने का पंचायतीराज एक सशक्त माध्यम बना है। पंचायतों के माध्यम से समाज की जडता धार्मिक अंधविश्वासों, रूढियों एवं भ्रष्टाचार के उन्मूलन में भी अच्छा काम हुआ है । पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी से ग्रामीण विकास एवं महिलाओं के चिंतन का विकास हुआ और नई चेतना का सूत्र प्राप्त हुआ। पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी का प्रयोग देश के उन हिस्सों में ज्यादा सफल रहा है जहां पहले से ही स्त्रियों की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर रही। नए समाज का उदय पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी से ही संभव रहा।

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बावजूद भी कभी-कभी महिलाएं अपनी क्षमता का परिचय नहीं दे पाती है। इसका प्रमुख कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही जो केवल नाम मात्र का प्रतिनिधि बना देती है। बहुत सी पंचायतों में पुरुष ही महिला के नाम पर चुनाव लड़ते हैं और पत्नी या किसी महिला उम्मीदवार को प्रतिनिधि के रूप में चुनाव जीतने के बाद सारा काम खुद करते हैं। इससे जिसको सशक्त करने के लिए व्यवस्था बनाई गई वह सिद्ध नहीं हो पाती है। इसलिए महिलाओं के संपूर्ण एवं वास्तविक सशक्तिकरण के लिए आवश्यक है कि पंचायतों का सशक्तिकरण बेहतर ढंग से हो क्योंकि कमजोर पंचायतें मजबूत महिलाओं को भी कमजोर बना देती हैं। इसलिए पंचायतों में महिलाओं का योगदान होना चाहिए तभी वास्तविक सशक्तिकरण होगा।

स्पष्ट है कि पंचायती राज व्यवस्था से महिला को समाज में समान भागीदारी एवं बराबरी का दर्जा प्राप्त हुआ और महिला सशक्तिकरण में पंचायत एक सशक्त माध्यम बनी। आज संपूर्ण समाज महिला सशक्तिकरण के उदाहरण से भरा पड़ा है। नई सोच के साथ घर व समाज में स्वयं को स्थापित करना शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से स्वयं को प्रत्येक चुनौतियों के लिए तैयार रहना व इसका डटकर मुकाबला करना सशक्तिकरण की धारणा को सार्थक कर देती है और पंचायती राज व्यवस्था महिला को निरंतर सशक्त बना रही है।

IV. निष्कर्ष

हर साल 24 अप्रैल को पूरे भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के पारित होने का प्रतीक है, जो 24 अप्रैल, 1993 से लागू हुआ। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था। पंचायती राज प्रणाली ग्रामीण समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में आवाज देकर और उनकी जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए संसाधन उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाती है। भारत सरकार ने विशेष रूप से लोकप्रिय भागीदारी की सीमा का आकलन करने और इस प्रकार की संस्थाओं की सिफारिश करने के दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (एनईएस) कार्यक्रमों का अध्ययन करने के लिए जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया था, जिसके माध्यम से ऐसी भागीदारी हासिल की जा सके। पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले नागौर (राजस्थान) और आंध्र प्रदेश में 1959 में हुई थी इसने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की सुविधा के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने की अनुमति दी। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय इस दिन राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करता है और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को पंचायत सशक्तीकरण पुरस्कार/राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार से सम्मानित करता है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में भारत के इतिहास में पहली बार पंचायतों में महिलाओं को न्यूनतम संख्या में सीटें आवंटित की गईं। राज्य और राष्ट्रीय विधानसभाओं में महिलाओं का अल्प प्रतिनिधित्व, पंचायतों की कुल सीटों और अध्यक्षों की कम से कम एक तिहाई सीटों का आरक्षण महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है। 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में डाले गए अनुच्छेद 243-डी के खंड (3) में प्रावधान है कि प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरी जाने वाली कुल सीटों में से कम से कम एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र सशक्तिकरण सुनिश्चित करता है और पंचायती राज संस्थाएँ (PRI) समाज के सभी वर्गों की भागीदारी की गारंटी देती हैं। लैंगिक असमानता को क्लासिक असमानता जाल के रूप में पहचाना गया है जो नकारात्मक परिणामों के साथ समाज में और अधिक असमानताएँ पैदा करता है। महिलाओं का सशक्तिकरण अनिवार्य रूप से महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के उत्थान की प्रक्रिया है। इसमें एक ऐसे समाज का निर्माण शामिल है जिसमें महिलाएँ उत्पीड़न, शोषण, आशंका, भेदभाव और उत्पीड़न की सामान्य भावना के डर के बिना सांस ले सकें, जो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान संरचना में एक महिला होने के साथ होती है। किसी भी समाज में विकास धीमा होगा यदि महिलाओं, जो आबादी का लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हैं, को विकासात्मक गतिविधियों में भाग लेने की सुविधा नहीं दी जाती है।

समकालीन विश्व में महिला सशक्तिकरण चर्चा का विषय रहा है। महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा महिलाएं पुरुषों के बराबर उचित मान्यता प्राप्त करती हैं, ताकि वे राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से समाज की विकास प्रक्रिया में मानवीय गरिमा के साथ भागीदार के रूप में भाग ले सकें, जिसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी क्षमता को बढ़ाना है। 600 मिलियन से अधिक महिला आबादी वाले भारत में महिला शक्ति का विशाल भंडार है जो दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों की कुल संयुक्त आबादी से भी अधिक है। महिलाओं और ग्रामीण समुदाय के वंचित वर्गों के पक्ष में सीटों और राजनीतिक पदों के आरक्षण से संबंधित 73वें संशोधन अधिनियम की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि इसने उनकी जागरूकता, धारणा के स्तर और निर्णय लेने की प्रक्रिया में उचित हिस्सेदारी में सुधार किया है। महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण के औचित्य का आकलन करने के लिए देश के इतिहास में एक संक्षिप्त अवधि पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन पहले से ही प्रत्यक्ष है। राजनीतिक सुधार उनके सामाजिक और आर्थिक सुधार की कुंजी है। महिलाओं और कमजोर वर्गों को विकेन्द्रित लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की संभावनाओं के बारे में संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 73वें संविधान संशोधन को न केवल ऐतिहासिक बल्कि भारत

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 7.583 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 11, Issue 3, May-June 2024 |

के इतिहास में पहली बार क्रांतिकारी माना जाता है। इसने महिलाओं के साथ-साथ समाज के हाशिए के वर्गों के लिए अध्यक्षों की न्यूनतम संख्या और पदों के आरक्षण के लिए अनिवार्य प्रावधान किए हैं। सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने-अपने पंचायत अधिनियमों में इन संवैधानिक अनिवार्यताओं को पेश किया है। इस संदर्भ में, कई ग्रामीण महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों की जाति और राजनीतिक नेताओं के अनुनय के कारण कुछ समय के लिए राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। पुरुष-प्रधान ग्रामीण सत्ता उन महिला आकांक्षी पर सामाजिक दबाव बनाती है, जिनमें राजनीतिक नेतृत्व संभालने के लिए आवश्यक उत्साह और क्षमता होती है। बल्कि गांव के पुरुषों को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए और उनका समर्थन करना चाहिए। इसके अलावा, महिलाओं को सशक्त बनाने की एक बड़ी प्रक्रिया की शुरुआत करने के लिए उन्हें स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया जाता है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन ने महिलाओं और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों के राजनीतिक सशक्तिकरण में बहुत योगदान दिया है। कुछ संशयवादी लोग थे जो महिला नेतृत्व के प्रस्ताव के पक्ष में थे। पितृसत्तात्मक समाज में अपने पारंपरिक प्रभुत्व से प्रेरित होकर, पुरुष महिलाओं की कुछ कमियों जैसे अशिक्षा, पारिवारिक ज़िम्मेदारियाँ, अनुभव, गरीबी और संचार कौशल का हवाला देते थे।स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की प्रभावी भागीदारी में बाधा डालने वाले कारक के रूप में उच्च जाति के पुरुष उन तरीकों की खोज में थे, जिनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में उनकी पारंपरिक पकड़ को बनाए रखा जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में हाशिए के समुदायों की महिलाओं को शुरू में पंचायतों में अपना नेतृत्व संभालने की अपनी क्षमताओं पर बहुत भरोसा नहीं था। पुरुष-प्रधान ग्रामीण सत्ता संरचना ग्रामीण संस्थाओं पर अपनी पारंपरिक पकड़ खोना नहीं चाहती थी। इसके कारण पंचायतों में गैर-एससी/एसटी राजनीतिक सीटों के लिए उनके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों की महिला सदस्यों को नामित किया गया। इनमें से कई महिलाएं जो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलीं, उन्हें अपने पतियों के समर्थन से चुनाव लड़ना पड़ा। कई मामलों में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पुरुषों द्वारा जाति, धन और बाहुबल का भी इस्तेमाल किया गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पंचायतों में निर्वाचित महिलाओं को अपने आधिकारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों पर निर्भर रहना पड़ा। इनमें से अधिकांश महिलाओं को पंचायत प्रशासन की बारीकियों का पता नहीं है और वे सरकारी कामकाज के लिए अपने पतियों पर निर्भर रहती थीं। कई मामलों में निर्वाचित महिलाओं की अनुपस्थिति में उनके पति या भाई पंचायत की बैठकों और विचार-विमर्श की अध्यक्षता करते हैं। कई मामलों में पंचायतों में निर्वाचित महिलाएं इतनी साक्षर, जागरूक, अनुभवी आदि नहीं होती हैं और कई मामलों में वे निर्णय लेने में अपने पुरुष समकक्षों पर निर्भर होती हैं। ग्राम पंचायतों में निर्वाचित सरपंचों और पंचों के संबंध में उन्हें अपने स्वामियों पर निर्भर रहना पड़ता है जो परंपरागत रूप से सत्ताधारी होते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर, हाशिए के समुदायों की महिला सदस्य जो अपेक्षाकृत साक्षर हैं और जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं या जिनके परिवार में राजनीतिक भागीदारी का इतिहास है, वे पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए स्वेच्छा से आगे आती हैं। ये महिलाएं चुनाव प्रचार के लिए अपने परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों पर भी निर्भर करती हैं। अगर महिलाएं सीखने की प्रक्रिया के रूप में पारंपरिक पुरुष नेतृत्व का समर्थन चाहती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन उन्हें अपने पुरुष समकक्षों द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। पंचायतों में निर्वाचित महिला सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रमशः राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ब्लॉक स्तर पर आयोजित किए जाने चाहिए। इन महिलाओं के लिए शिक्षण पद्धति यथासंभव सरल होनी चाहिए। समूह चर्चा, सफलता की कहानियां और सफल महिलाओं के केस स्टडी प्रशिक्षण का हिस्सा होने चाहिए। उनके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दृश्य-श्रव्य साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार को समाज के वंचित वर्गों की महिलाओं द्वारा संचालित पंचायतों के लिए अच्छे प्रदर्शन और उपस्थिति के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। अंततः महिलाओं और कमजोर वर्गों के बीच साक्षरता में सुधार ग्रामीण क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया और विकासात्मक गतिविधियों में उनकी प्रभावी भागीदारी के लिए महत्वपूर्ण कारक है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को उजागर करने के लिए मास मीडिया/प्रिंट मीडिया को धन्यवाद।फिर भी उनकी शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। समाज में लैंगिक असमानता को पाटने की सख्त आवश्यकता है क्योंकि महिलाओं की सामाजिक भागीदारी के बिना कोई भी समाज प्रगति नहीं कर सकता। पुरुषों को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक दृष्टिकोण और मानसिक बदलाव विकसित करना चाहिए।[19,20]

संदर्भ

1. "भारत में शामिल राज संस्थाएं" । India.gov.in ।
2. ^ बी सी डी "पंचायती राज मस्जिद के दर्शन आँकड़े" (पीडीएफ) । अद्वैत राज मंत्रालय। 2019. 7 अप्रैल 2024 को मूल से विक्रय (पीडीएफ) । 28 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
3. ^ रेणुकादेवी नागशेट्टी (2015)। "IV. अर्नोक और गुलबर्गा जिले में प्रांतीय राज समिति की संरचना और संरचना"। भारत में पंचायत राज परिवारों की कार्य समस्याएं और चुनौतियाँ। गुलबर्गा जिला पंचायत का एक केस अध्ययन (पीएचडी)। पी. 93. एचडीएल : 10603/36516 । मूल से 13 अक्टूबर 2017 को पीडीएफ (पीडीएफ)। 28 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
4. ^ "कार्यवाही का रिकॉर्ड। रिट पोस्टल (सिविल) संख्या 671/2015" (पीडीएफ) । विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की वेबसाइट "भारत पर्यावरण पोर्टल" । भारत का सर्वोच्च न्यायालय। 2015 पी. 3. मूल से 28 अक्टूबर 2020 को पीडीएफ (पीडीएफ)। 28 अक्टूबर 2020 को लिया गया ।
5. ↑ ए शर्मा बी , शकुंतला (1994)। ग्रास पॉलिटिक्स और टोयोटा राज । डीपी एंड डीपी प्रकाशन। प्र. 131.

6. ^ एबी सिंह, सूरत (2004)। भारत में विकेंद्रीकृत शासन: मिथक और वास्तविकता। डीपी एंड डीपी प्रकाशन। पी. 74. आईएसबीएन 978-81-7629-577-2.
7. ^ "भारत की ग्रामीण क्षेत्रीय सरकार की संरचना" । 3 जनवरी 2022 को लिया गया ।
8. ^ एबी सी सिंह, विजेंद्र (2003)। "अध्याय 5: विकीर्ण राज और गांधी।" जीनोमिक राज और ग्राम विकास: खंड 3, जीनोमिक राज प्रशासन पर सिद्धांत। लोक प्रशासन में अध्ययन। नई: दिल्ली सरूप एंड संस। पी.एच.पी. 84-90. आईएसबीएन 978-81-7625-392-5.
9. ^ एबी "गाँवों में रहना | डी+सी - विकास + सहयोग" । 12 फरवरी 2013।
10. ^ आज, तेलंगाना (22 फरवरी 2024)। "राय: सैमसंग को और अधिक प्रभावशाली बनाएं" । तेलुगू समाचार. 26 जून 2024 को लिया गया ।
11. ↑ डायनासोर राज: नारियल प्रदेश में ग्राउंड लेवल की विविधता, पृष्ठ 13, एपीएच प्रकाशन, 2008, प्रताप चंद्र स्वैन
12. ^ सिसौदिया, आरएसी (1971)। "गांधीजी का अलौकिक राज का दृष्टिकोण" पंचायत और इंसान . 3 (2):9-10.
13. ^ शर्मा, मनोहर लाल (1987)। भारत में गांधी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। नई दिल्ली: डीपी एंड डीपी प्रकाशन। ओएसईएलसी 17678104 । हाथी के मित्र, केवल सूचियाँ
14. ^ हार्डग्रेव, रॉबर्ट एल. और कोचानेक, स्टेनली ए. (2008)। भारत : उन्नत राष्ट्र में सरकार और राजनीति (सातवां संस्करण)। बोस्टन, मैसाचुसेट्स: थॉमसन/वड्सवर्थ । पृष्ठ 157. आईएसबीएन 978-0-495-00749-4.
15. ↑ भारत 2007, पृष्ठ 696, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
16. ^ "स्वतंत्र भारत में ज्वालामुखी राज व्यवस्था" (पीडीएफ) । Pbrdp.gov.in। 8 अगस्त 2019 को लिया गया ।
17. ^ "पंचायतों की संख्या" । pib.gov.in । 15 मई 2024 को लिया गया।
18. ^ "भारत में इंडिविजुअल राज होटल का पोर्टफोलियो" (पीडीएफ) ।
19. ↑ सिताराम, मुक्काविल्ली (1990)। ग्रामीण विकास में नागरिक भागीदारी। निर्माता प्रकाशन. प्र. 34. आईएसबीएन 9788170992271ओसीएलसी 23346237.
20. ^ "मणि उम्मीदवार कोट्टायम जिला पंचायत अध्यक्ष हैं" । द हिंदू । 25 जुलाई 2019।

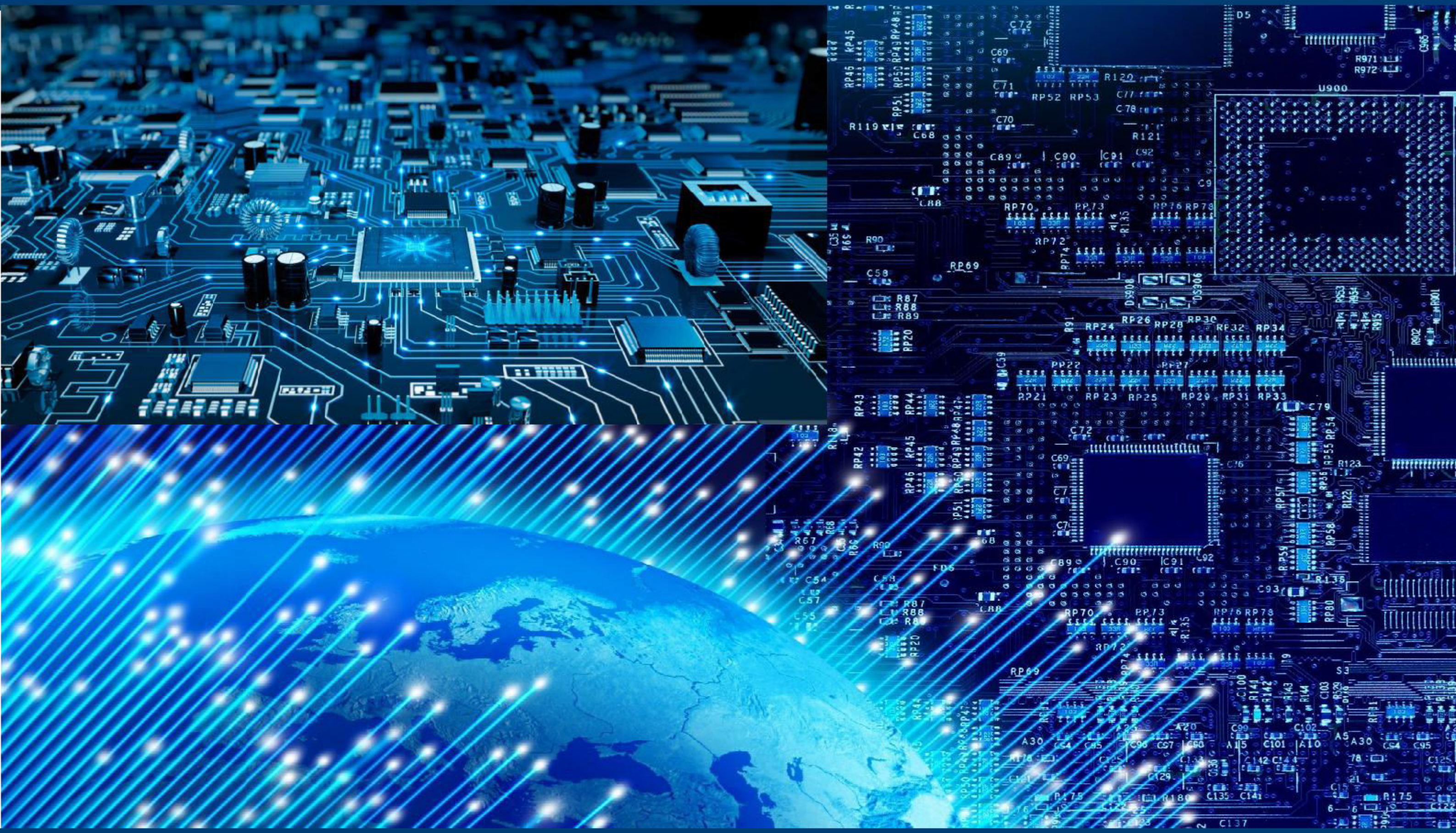

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |

www.ijarasem.com